ओडीओपी योजना बनी नजीर : योगी

लोकभवन में आयोजित कौशल सतरंग समारोह में पांच कारीगरों को दिए प्रमाणपत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार ने परंपरागत उद्योगों में नई जान फूंकने के लिए वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) की शुरुआत की जो अब नजीर बन गई है। केंद्र सरकार ने इसे सभी राज्यों को लागू करने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

सीएम ने कौशल सतरंग समारोह में रिकग्नीशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के तहत वनटांगिया व मुसहर समुदाय के पांच कारीगरों सुरज, दुखी, राजेंद्र, अजय व अमरनाथ को प्रमाणपत्र भी दिया। इस मौके पर आइआइएम लखनऊ की निदेशक प्रो. अर्चना शुक्ला, आइआइटी कानपुर के डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉ. हरीश, मुख्य सचिव आरके तिवारी आदि मौजूद रहे।

आउटसोर्सिंग भर्ती में फर्जीवाड़ा सरकार ने बंद किया : श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती जेम पोर्टल के माध्यम से करने का एलान कर फर्जीवाड़ा बंद कर दिया है। अभी कंपनियां युवाओं के पीएफ का पैसा हजम कर जाती थी और उनका शोषण करती थी।

युवाओं के सपनों को लगे नए पंख : व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने युवाओं के सपनों को नए पंख लगाए हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिलाया गया।

लोक भवन में गुरुवार को आयोजित कौशल सतरंग समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष समझौता पत्र का आदान-प्रदान करतीं आइआइएम लखनऊ की निदेशक प्रो .अर्चना शुक्ला (बाएं से दूसरी) और प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राधा एस चौहान (दाएं से पहली)। साथ में कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)कपिल देव अग्रवाल व मुख्य सचिव आरके तिवारी● जागरण

लोक भवन में आयोजित कौशल सतरंग समारोह में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाकर आए प्रतिभागी● जागरण

कैबिनेट की बैठक आज

राब्यू, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी। योगी सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा हो रहा है इसलिए माना जा रहा है कि बैठक में कई अहम निर्णय हो सकते हैं। जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा के प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रिजन्स एक्ट 1894 में संशोधन के लिए प्रस्ताव मंजूरी के लिए को रखा जा सकता है।

Dainik Jagran page 11-13/3/20